न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—103 / 2015
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धाराः—251 ए आरटीए

1. राजकुमार पुत्र महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
2. षिव कुमार पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
3. संजय पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

—प्रार्थीगण

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र गणेषाराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। —अप्रार्थी

उपस्थित :—

श्री बलवन्तसिंह झोरड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय **दिनांकः— 21.10.2019**

प्रार्थीगण राजकुमार वगैरा द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए इस आषय का पेष किया कि प्रार्थीगण के नाम से चक नं. 9 एमएमके के खाता सं. 66 / 23 संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण मौका पर इसी चक के प.नं. 128 / 205 मु.नं. 50 कि.नं. 11,12, 18 ता 23 व प.नं. 128 / 206 मु.नं. 53 कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 20 पर काष्त करते है। उक्त चक के खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना—पत्र है जो प्रार्थना—पत्र का आधार है।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक नं. 9 एमएमके के खाता सं. 49 / 43 में 1.353 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है,उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

प्रार्थीगण को प्रार्थना—पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में आने—जाने हेतु व कृषि कार्य करने ,फसल की बुआई,कबई,कढ़ाई इत्यादि कार्यो को करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण का मौका पर अप्रार्थी की कृषि भूमि जो प.नं. 127 / 206 मु.नं. 52 कि.नं. 25 की पूर्वी दिषा में दक्षिण से उतर की ओर 1 बिस्वा व प.नं. 128 / 206 मु.नं. 53 कि.नं. 21 के उतरी दिषा में उतरी —पष्चिमी की ओर 0.003 है. कृषि भूमि रास्ता का पिछले काफी वर्षों से उपयोग व उपभोग कर रहा है,प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की काष्त करने हेतु आने—जाने हेतु अन्य कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है,लेकिन उक्त आराजी अप्रार्थी के कब्जा काष्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता मन्जूर करवाना चाहते है। उक्त रास्ता के

बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थी को उतनी ही कृषि भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव जो भी अप्रार्थी उचित समझे देने को तैयार है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से कई बार निवदेन किया कि आप चक नं.9 एमएमके के प.नं.127/206 के मु.नं. 52 के किला नं.25 की पूर्वी दिषा में दक्षिण से उतर की ओर 1 बिस्वा व प.नं. 128/206 मु.नं. 53 कि.नं. 21 के उतरी दिषा में उतरी–पष्चिमी की ओर 0.003 है.कृषि भूमि का रास्ता मन्जूर करवा देवे व राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी गैर मुमकिन आराजी के रूप में दर्ज करवा देवे और उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थीगण ,अप्रार्थी को उतनी ही कृषि भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव जो भी अप्रार्थी उचित समझे प्रार्थी से प्राप्त कर लेवे तो इस पर अप्रार्थी,प्रार्थीगण के निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गया। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में काष्त हेतु आने–जाने के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है बस यही प्रार्थना–पत्र का कारण है।

प्रार्थना–पत्र पर सीगेदार की रिपोर्ट होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जिसकी तलबी उपरान्त अप्रार्थी की ओर से श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट दिनांक 22.4.2016 को उपस्थित आकर अपना वकालतनामा पेष किया। रास्ता स्वीकृति हेतु न्यायालय स्तर पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से जरिये पत्रांक 879 दिनांक 6.10.2016 से रिपोर्ट भिजवाने का लिखा जाने पर उनके कार्यालय के पत्रांक 1259 दिनांक 11.11.2016 से रिपोर्ट प्राप्त हुई व पुनः विस्तृत मौका रिपोर्ट पत्रांक 1067 दिनांक 18.11.2016 से जारी कर प्राप्त करने पर उनके कार्यालय से पत्रांक 1368 दिनांक 20.12.2016 से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.12.2016 में अंकित किया है कि अप्रार्थी का रकबा वाके चक नं. 9 एमएमके प.नं. 127/206 मु.नं. 52 कि.नं. 25 में 0.013 है. जिसकी लम्बाई 165 गुणा 8.25 व प.नं. 128/206 मु.नं. 53 कि.नं. 21 में 0.003 है. यानि 20 गुणा 15 अर्थात 0.016 है. मुताबिक डीएलसी दर 889320 रूपये प्रति है. से दोगुणा राषि 28640 रूपये जमा करवाये जाने पर रास्ता हेतु स्वीकृति की अनुषंषा की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आया,वर्ष 2016 से लेकर आज दिनांक तक जवाब प्रार्थना–पत्र बार–बार अवसर दिये जाने पर भी पेष नहीं करने पर दिनांक 9.9.2019 को अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना–पत्र बन्द किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया,राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना आवष्यक हैः–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवष्यकता।

2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काष्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से मौका एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जो उनके

पत्रांक 1368 दिनांक 20.12.2016 से प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट,बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली उप उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों,नजरी नक्शा,जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नं. 9 एमएमके के खाता सं. 66/23 संयुक्त खाता में कृषि भूमि प.नं. 128/205 मु. नं. 50 कि.नं. 11,12, 18 ता 23 व प.नं. 128/206 मु.नं. 53 कि.नं. 1 ता 3,8 ता 11,17 ता 20 आराजी में जाने हेतु रास्ते का अभाव होने से रास्ते की अत्यांतिक आवष्यकता है। यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपुति अत्यांतिक आवष्यकता के लिए है। साथ ही चक नं.9 एमएमके के प.नं.127/206 के मु.नं.52 के किला नं.25 की पूर्वी दिषा में दक्षिण से उतर की ओर 1 बिस्वा व प.नं. 128/206 मु.नं. 53 कि.नं. 21 के उतरी दिषा में उतरी–पष्चिमी की ओर 0.003 है.कृषि भूमि का रास्ता मन्जूर करवाना चाहते है वह गुजरने वाला मन्जूर शुद्वा रास्ता ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुँच हेतु सबसे निकटतम रास्ता है। अनुतोषित रास्ते के आलोक में प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक नं.9 एमएमके के प.नं.127/206 के मु.नं.52 के किला नं.25 की पूर्वी दिषा में दक्षिण से उतर की ओर 1 बिस्वा व प.नं. 128/206 मु.नं. 53 कि.नं. 21 के उतरी दिषा में उतरी–पष्चिमी की ओर 0.003 है.कृषि भूमि में से रास्ता मन्जूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजकुमार आदि के प्रार्थना–पत्र में **तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि** प.नं. 127/206 मु.नं. 52 कि.नं. 25 की पूर्वी दिषा में दक्षिण से उतर की ओर 1 बिस्वा यानि 0.013 है. जिसकी लम्बाई 165 गुणा 8.25′ व प.नं. 128/206 मु.नं. 53 कि.नं. 21 के उतरी दिषा में उतरी –पष्चिमी की ओर 0.003 है.यानि 20 गुणा 15 अर्थात 0.016 है. मुताबिक डीएलसी दर 889320 रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ता में आई आराजी की दोगुणा राषि 28640/– रूपये बनते है को तहसील में जमा करवाये जाने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है तथा राशि जमा होने के पश्चात् ही उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जाकर चालू करवाये जाने के आदेष दिये जाते हैं। स्वीकृत रास्ता की एवज में जमा करवाई गई राषि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मांग किये जाने पर जमा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.27 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: